

न्यायालय, अपर समाहर्ता—सह—अपर जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया
उत्पाद अधिवरण वाद संख्या—31/2020-21

राज्य बनाम सारजन देवी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई ^{1.} कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख—सहित	
19.03.2021	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>प्रस्तुत वाद पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 1913/हिंशा० दिनांक 05.10.2020 के द्वारा मोरकाही थाना कांड संख्या—87/2020, दिनांक 19.08.2020, धारा—30ए विहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त मोटर साईकिल वाहन संख्या—BR34M-9674 का विहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा—58 के अंतर्गत राजसात करने के समर्पित प्रस्ताव के आलोक में आरंभ किया गया।</p> <p>पुलिस निरीक्षक सदर खगड़िया अंचल के प्रतिवेदन दिनांक 21.09.2020 के अनुसार दिनांक 19.08.2020 को करीब 8:30 बजे वादी थानाध्यक्ष मोरकाही को गुप्त सूचना मिली कि एक मोटर साईकिल पर सवार दो लड़का मोटर साईकिल के डिक्की में विदेशी शराब लेकर उत्तरी माझर होते हुए सोनमनकी की ओर जाने वाला है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वादी थाना के सशस्त्र बल के साथ उत्तरी माझर प्रभुनारायण चौक पर पहुँच कर वाहन चेंकिंग कर रहे थे। चेंकिंग के दौरान करीब 8:50 बजे एक मोटर साईकिल पर सवार दो लड़का पुलिस को देख कर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे साथ के पुलिस बल के सहयोग से उसे पकड़ लिया गया। पकड़ाये व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर वे अपना—अपना नाम विशाल कुमार पे०—वकील साह साकिन—सोनमनकी एवं बंटी कुमार पे०—सिकन्दर सिंह साकिन—खुटहा थाना—मोरकाही, जिला—खगड़िया बताये।</p> <p>दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में उक्त स्थल पर खड़े मोटर साईकिल वाहन संख्या—BR34M-9674 के डिक्की से पीले रंग के गैलन से पाँच लीटर देशी शराब बरामद किया गया।</p> <p>पुलिस अधीक्षक खगड़िया के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त वाहन के चालक एवं वाहन मालिक के विरुद्ध मोरकाही थाना कांड संख्या—87/2020 दिनांक 19.08.2020 धारा—30(ए) विहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016(संशोधित अधिनियम 2018) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।</p> <p>चूँकि अवैध शराब/मादक द्रव्य/नशीली पदार्थ की खरीद—बिक्री, भंडारण, परिवहन, सेवन आदि को विहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा—13 के अंतर्गत निषेध किया गया है एवं 30(ए) के तहत दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है, इसलिए पुलिस अधीक्षक, खगड़िया से प्राप्त उक्त प्रस्ताव के आलोक में विहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016(संशोधित अधिनियम 2018) के अंतर्गत वाद प्रारंभ करने का पर्याप्त आधार पाते हुए उक्त अधिनियम की धारा—58 के अंतर्गत कार्रवाही प्रारंभ की गई।</p> <p>अवैध रूप से शराब के खरीद—बिक्री, भंडारण एवं परिवहन के आरोप में उक्त सभी व्यक्तियों एवं वाहनों के वाहन स्वामी से इस न्यायालय के द्वारा कारण—पृच्छा किया गया।</p> <p>वाहन स्वामी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की ओर से कारण—पृच्छा दाखिल कर जप्त वाहन को मुक्त करने का अनुरोध किया है। वाहन स्वामी की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल के द्वारा वाहन स्वामी को अभियुक्त बनाया गया है। वाहन स्वामी के बिना अनुमति से विशाल कुमार एवं बंटी कुमार उक्त मोटर साईकिल ले गया था। वाहन स्वामी एक महिला संगम सदस्य है, तथा उक्त मोटर साईकिल को हीरो कम्पनी से लॉन लेकर वाहन खरीद की है। वाहन स्वामी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की ओर से निवेदन किया कि जप्त वाहन जो खुले आकाश में खड़ी है वह बरसात के मौसम</p>	02.	3.

५३१८१

में वाहन में जंग लगाने की संभावना है जिसे वाहन खराब हो सकता है। इस प्रकार इस कांड में गाड़ी मालिक का इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी। वाहन स्वामी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि वाहन मालिक एक गरीब महिला है, वे अपना खेती बाड़ी कर अपना घर चलाते हैं। इस प्रकार वाहन मालिक इस कांड में पूरी तरह से निर्दोष है। उक्त आधार पर उनके स्वामित्व के वाहन को मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद, खगड़िया का कथन है कि जप्त मोटर साईकिल वाहन संख्या—BR34M-9674 के डिक्की में रखा पीले रंग के गैलन से पाँच लीटर देशी शराब बरामद किया गया। जिसे उक्त वाहन के साथ विधिवत जप्त किया गया। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का परिवहन चौर्य व्यापार एवं भंडारण प्रतिबंध है। इस तरह, उक्त मोटर साईकिल वाहन संख्या— BR34M-9674 को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा—58 के अंतर्गत राज्यसात करने का पर्याप्त आधार है।

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा—13 में शराब अथवा मादक द्रव्यों को निषेध घोषित किया गया है।

Section 13 : Prohibition of liquor or intoxicants –
No Person shall manufacture, bottle, distribute, transport, collect, store, posses, purchase, sell or consume any intoxicant or liquor.

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा—30 में शराब के अवैध आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय आदि को दण्डनीय घोषित किया गया है।

Section 30 : Penalty for unlawful import, export, transport, manufacture, possession, sale, etc.- Whoever, in contravention of provision of this Act or of any rule or order made or notification issued under this Act or in contravention of any condition of any license or permit or pass, renewed under this Act or without a valid license, permit or pass issued under this Act-

(nn) manufactures, possesses, buys, sells, distributes, collects, bottles, imports, exports, transports or removes any intoxicant or liquor.

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा—56 में अधिहरण की जा सकने वाले सामानों का उल्लेख किया गया है:-

(क) कोई ऐसा मादक द्रव्य, शराब सामग्री, भमका (स्टिल),

बर्तन, औजार, उपकरण जिसकी बाबत या जिससे यह अपराध किया गया हो;

(ख) खंड (क) के अधीन अधिहरण के भागी किसी मादक द्रव्य के अलावे या के साथ गैर कानूनी ढंग से आयात की बगयी, ढोयी गयी विनिर्मित की गयी, बेची गयी या लायी गयी कोई नशीली वस्तु या शराब;

(ग) कोई पात्र, पैकेज या आवरक जिसमें खंड (क) या खंड (ख) के अधीन अधिहरण की भागी कोई वस्तु पायी जाती हो और ऐसे पात्र, पैकेज या आवरक की अन्य अन्तर्वर्तु यदि कोई हो;

(घ) उसे ढोने के काम में लाये जाने वाले पशु, वाहन, जलयान या परिवहन के अन्य साधन;

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित
1.	<p>(ड) कोई परिसर या उसका कोई हिस्सा जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी शराब अथवा मादक द्रव्य के भंडारण अथवा विनिर्माण के लिए अथवा किसी अपराध को करने के लिए प्रयोग में लाया गया हो।</p> <p>अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि जप्त मोटर साईकिल वाहन संख्या—BR34M-9674 के डिक्की में रखा पीले रंग के गैलन से पाँच लीटर देशी शराब बरामद किया गया। जिसे उक्त वाहन के साथ विधिवत जप्त किया गया। जप्त वाहन के डिक्की में रखे पीले रंग के गैलन से बरामद देशी शराब जो व्यापारिक उद्देश्य प्रमाणित किए जाने हेतु प्रर्याप्त आधार है। माननीय उच्च न्यायालय पटना के विभिन्न वादों में पारित आदेशों में भी निर्देशित है कि बरामद शराब की व्यापारिक मात्रा को देखते हुए जप्त वाहन का राजसत् किया जाए। अतः निम्न आदेश दिया जाता है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> इस अपराध में प्रयुक्त मोटर साईकिल वाहन संख्या—BR34-9674 जप्त कर मोरकाही थाना में रखा हुआ है, को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम—2016 (संशोधित अधिनियम— 2018) की धारा—58(2) के अन्तर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किया जाने वाला वाहन किसी भी ऋण-भार से मुक्त होगा। साथ ही लोकहित में यह भी आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा—58(5) के अन्तर्गत सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से इसकी विक्री किया जाय। जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को निर्देश दिया जाता है कि वे मोरकाही थाना में जप्त मोटर साईकिल वाहन संख्या—BR34M-9674 को मोटर यान निरीक्षक के माध्यम से मुआइना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को समर्पित करेंगे। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया को आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन की सार्वजनिक नीलामी की कार्रवाई करेंगे और नीलामी से प्राप्त धन राशि सरकारी खजाने में विधि-रीति से जमा करना भी सुनिश्चित करें। <p>आदेश की प्रति उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना / उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया / जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया / थानाधीक्षक खगड़िया एवं संबंधित प्रतिवादी को भेजें। तथा आदेश की एक प्रति जिला के वेबसाईट पर भी प्रकाशनार्थ भेजें।</p> <p>उपर्युक्त विवेचना के साथ वाद की कार्रवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।</p> <p>अपर समाहर्ता, —सह—</p> <p>अपर जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।</p> <p>अपर समाहर्ता, —सह—</p> <p>अपर जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।</p> <p>प्रतिलिपि - ३० फ़रवरी २०२१ दिनांक १५.४.२१</p> <p>प्रतिलिपि - ३० फ़रवरी २०२१ दिनांक १५.४.२१</p>	3.

ସମ୍ପର୍କୀୟ - ଓୟେଟ୍ ଅକ୍ଷୁତ, ମ୍ହା, ୭୨୭ / ପ୍ରଶିଳ ଅବ୍ୟାପ
 (କୋଡ଼ିଯା) / ଓୟେଟ୍ ଅବ୍ୟାପ କୋଡ଼ିଯା / ମିଳା ପାର୍କ୍
 ଏବା ବିଦ୍ୟାରୀ (କୋଡ଼ିଯା) / ଯୋଗା ଯୁଦ୍ଧ ମୋହଲ୍ କା
 ରୁଫଳାକ୍ତ ଏତ୍ ଅବ୍ୟାପ କୋଡ଼ିଯା ଟ୍ରେ ଏଥିର ।
 ସମ୍ପର୍କୀୟ - N.I.C. କୋଡ଼ିଯା କା ରଣମ୍ଭେ ଏ କବା,
 ଟ୍ରେ ଏଥିର ।

~~3741140~~ ~~3741140~~ ~~3741140~~